

पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

# धाणी हथार्ई



ग्राम पंचायत - भोजातों का ओड़ा

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

**गाँव का इतिहास** - धाणी हथाई (ढाणी हथाई) सदियों पुराना गाँव है। पुराने लोग बताते हैं कि गाँव हथाई के पास रेबारी समाज के लोगों की बस्ती थी। पास ही बसे हथाई गाँव में एक हाथी था। हाथी के कारण उस गाँव का नाम हथाई पड़ गया। रेबारियों के रहवास ढाणियों में होते हैं। अतः उनके गाँव के नाम के आगे धाणी (ढाणी) कहा जाता है। इसलिए इस बसावट का नाम धाणी हथाई (ढाणी हथाई) पड़ गया। इस गाँव में रेबारियों के साथ साथ कुछ बरांडा और अहारी उपजाति के आदिवासी लोग भी रहने लगे। गाँव में तीन मंदिर बने हुए हैं और दो पूजा स्थल हैं। गातोड़ जी, भैरव जी, खोडियाजी का एक-एक मंदिर है और भेरुजी का पूजा स्थल और माता जी का पूजा स्थल है।

**गाँव का एक परिचय** - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में धाणी हथाई (ढाणी हथाई) गाँव है जिसकी ग्राम पंचायत भोजातों का ओड़ा, ब्लॉक एवं पंचायत समिति दोवड़ा है, तहसील एवं जिला डूंगरपुर है। धाणी हथाई (ढाणी हथाई) गाँव के उत्तर में दरा, दक्षिण में पांतली और पूर्व में भोजातों का ओड़ा, पश्चिम में फूटी तलाई है। धाणी हथाई (ढाणी हथाई) गाँव में कुल घरों की संख्या 70 है। गाँव में आदिवासियों की उपजातियों में बरांडा और अहारी परिवार रहते हैं तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में रेबारी समाज के लोग रहते हैं। गाँव में पांच मंदिर/पूजा स्थल हैं। गाँव सभा का गठन और शिलालेख 18 जनवरी 2018 को हुआ। लोगों को पेसा कानून की जानकारी सामान्य है महिलाओं को अभी इसकी जानकारी बहुत कम है। गाँव से बाजार की दूरी 3 किलोमीटर है जो हथाई में है। गाँव के लोगों को दैनिक खरीदारी के लिए 4-5 किलोमीटर दूर हथाई या डूंगरपुर जाना पड़ता है। गाँव की 50% जमीन छोटी पहाड़ियों के रूप में है। गाँव में दो कच्ची सड़कें हैं। दो श्मशान घाट हैं। राशन की दुकान हथाई में है जो 4 किलोमीटर दूर है। पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड भी हथाई में है। पुलिस थाना दोवड़ा में है जो 7 किलोमीटर दूर है। गाँव में बिजली की सुविधा से सभी घरों में है।

**आवागमन की स्थिति** - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में धाणी हथाई (ढाणी हथाई) गाँव है। डूंगरपुर से दोवड़ा तक हाईवे है उसके बाद फलोज तक पक्की सड़क है लेकिन वह सड़क टूटी फूटी है। फलोज में घंटों इन्तजार के बाद बस, जीप और टेंपो मिलता है जो फूटी तलाई तक छोड़ता है। फूटी तलाई बस स्टैंड से चल कर के वाड़ा गाँव आना पड़ता है (जो फूटी तलाई से डेढ़ से दो किलोमीटर है) वाड़ा से धानी हथाई डेढ़ से दो किलोमीटर है। फलोज से सीधा हथाई भी जा सकते हैं और हथाई से पैदल वाड़ा आना पड़ता है। वाड़ा से धानी हथाई डेढ़ से दो किलोमीटर है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहाँ आने जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। बरसात के दिनों में वहाँ पैदल चल पाना मुश्किल होता है।

**स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति** - गाँव में आंगनवाड़ी भवन बना हुआ है लेकिन आंगनवाड़ी चल नहीं रही है। जिसके कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। गाँव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए वाड़ा हथाई (2-3 किलोमीटर) दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र 4 किलोमीटर दूर फलोज में है पशु चिकित्सालय भी फलोज में ही है। अस्पताल तक मरीजों को प्राइवेट गाड़ी से लेकर जाते हैं। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। इसके लिए 500 मीटर से चार किलोमीटर पैदल मरीज को चारपाई या झोली में डालकर सड़क तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दुकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए हथाई जाना पड़ता है। बच्चों के पढ़ने हेतु स्कूल ढाणी में है जो 2 किलोमीटर दूर है उसमें एक ही अध्यापक है। उस में 35 बच्चे पढ़ते हैं। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। छठी से बारहवीं तक पढ़ने के लिए बीस-पच्चीस बच्चों को 4-5

किलोमीटर दूर फलोज या हथाई जाना पड़ता है और डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 28 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है। कॉलेज पढ़ने के लिए एक लड़का और एक लड़की डूंगरपुर जाते हैं (2017 में)।

**गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-**

**आवागमन की कमी** - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में धाणी हथाई (ढाणी हथाई) गाँव है। डूंगरपुर से दोवड़ा तक हाईवे है उसके बाद फलोज तक पक्की सड़क है डूंगरपुर से फलोज तक बस मिलती है फिर फलोज में घंटों भर इन्तजार के बाद बस, जीप और टेंपो मिलता है जो फूटी तलाई तक छोड़ता है। फूटी तलाई बस स्टैंड से पैदल-पैदल चल कर के वाड़ा गांव आना पड़ता है (जो फूटी तलाई से डेढ़ से दो किलोमीटर है) वाड़ा से धानी हथाई डेढ़ से दो किलोमीटर है। फलोज से सीधा हथाई भी जा सकते हैं और हथाई से पैदल वाड़ा आना पड़ता है फिर वाड़ा से धानी हथाई डेढ़ से दो किलोमीटर है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। नीचे के रास्तों में कीचड़ भर जाता है। रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है।

**भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी** - गाँव में कुछ जमीन समतल है जो कुछ परिवारों के पास में है और गाँव का चरागाह जो पहाड़ियों पर है उस भी वन विभाग का कब्जा है, घास काटने के लिए एक व्यक्ति का एक दिन का 100 रु. लगता है। आदिवासियों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव के समतल जमीनों और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीनों और पहाड़ियों के उपयोग का गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीनों और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न हीं उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गाँव में दो तालाब तथा दो नाले है। एक शंकर पोंड (तालाब) है, दूसरा कुए वाला तालाब जिसे नानिया तालाब भी कहते है। शंकर तालाब के नाले पर एक एनिकट बना हुआ है जो टुटा हुआ है उसमें पानी नहीं ठहरता है। गांव में लगभग 7 कुएं हैं लेकिन सार्वजनिक कुआ एक ही है जो तालाब वाला कुआं है। सिंचाई के लिए एक-दो लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था कुए और हैण्डपम्प से की जाती है। जिनमें भी बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए लोगों की कोई योजना नहीं है न ही शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए आर. ओ. प्लांट है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। चाहे वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊंचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

**कृषि और रोजगार की स्थिति** - गाँव का पूरा रकबा 153 हेक्टेयर है। खेती की उपज गेहूं, मक्का, उड़द चना और सोयाबीन आदि होते हैं। भूमि उबड़-खाबड़ और ढलानवाली होने से और सिंचाई के साधन नहीं होने से मात्र एक ही फसल हो पाती है। जो अनाज खेती से होता दो से चार माह में ही खत्म हो जाता है। इसलिए लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए लोगों को कृषि के अतिरिक्त मनरेगा और खुली दैनिक मजदूरी करना पड़ती है। मनरेगा में मजदूरी 100 रु. से कम ही मिलती है। इसलिए मनरेगा में

अधिकतर महिलाएँ ही जाती हैं। पुरुष गुजरात के विभिन्न शहरों जैसे अहमदाबाद में मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहाँ वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव में सरकारी नौकरी करने वाला एक ही व्यक्ति है जो अध्यापक है वह भी अनुसूचित जनजाति का नहीं है।

**गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -**

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गाँव में दो तालाब तथा दो नाले हैं। शंकर तालाब के नाले पर एक एनीकट बना हुआ है जो टूटा हुआ उसमें पानी नहीं ठहरता है। गाँव में लगभग 7 कुएं हैं लेकिन सार्वजनिक कुआ एक ही है जो तालाब वाला कुआं है। सिंचाई के लिए एक-दो लोगों ने के ट्यूबवेल लगा रखे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था कुए और हैंडपंप से की जाती है। जिनमें भी बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट नहीं है।	कुआ गहरीकरण एवं रिंग वाल निर्माण। सार्वजनिक कुआं गहरीकरण। पेयजल के लिए नल की व्यवस्था। बंद हैंडपंप को चालू करवाना। आर. ओ. प्लांट लगवा करके फ्लोराइड से मुक्ति मिल सकती है। एनीकट अगर मरम्मत करके ठीक कर दिए जाएं तथा नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गाँव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गाँव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं और तालाब का गहरीकरण और मरम्मत करके तथा उसे बरसात में रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिलानाम भूमि चरागाह	सिंचाई के साधन और पानी की कमी से कृषि उत्पादन में कमी है। चरागाह नहीं है। बिलानाम भूमि 13 हेक्टेयर है जो खाली पड़ी हुई है। छोटे-छोटे पहाड़ भी हैं। गाँव में चारागाह भी है लेकिन उस पर वन विभाग का कब्जा है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे 100 रु. प्रतिदिन चुका कर चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव की बिलानाम भूमि की खातेदारी का पट्टा करवाना। जमीन का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गाँव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती, तालाबों में मछली पालन करके आय बढ़ाई जा सकती है।

जंगल जंगल है लेकिन पेड़ पौधे नहीं हैं।	गाँव में जंगल के नाम पर सूखे पहाड़ है और उस पर वन विभाग का कब्जा है।	सामुदायिक दावा कर के गाँव के कब्जे में लेकर वृक्षारोपण करके लघु वन-उपज प्राप्त किया जा सकता है।
स्कूल	एक प्राथमिक स्कूल है। जिसमें मात्र एक अध्यापक हैं। बच्चों को बैठने के लिए केवल दो कमरे हैं। विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय में भी पानी की व्यवस्था नहीं है। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढाई बिलकुल बाधित है।	विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति और कक्ष निर्माण होने से बच्चों को बैठने तथा उनकी पढाई बेहतर होगी। शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था होने से फ्लोराइड से होने वाले रोगों का बचाव होगा।
आंगनवाड़ी	आंगनवाड़ी भवन है पर आंगनवाड़ी चल नहीं रही है।	आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता की नियुक्ति से छोटे बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए सुविधा।
सड़क	2 सी.सी. सड़क और एक कच्ची सड़क है।	सड़क बनवाना है।
कच्चे और पक्के मकान	गाँव में केवल दो घर पक्के हैं बाकी सभी के मकान कच्चे हैं	विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ गाँववासियों को दिलाया जा सकता है।

**पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी** - गाँव के कुछ लोग बकरी, गाय, बैल और भैंस पालते हैं। जानवरों हेतु चारे की उपलब्धता भी फरवरी-मार्च तक होती है बाकी समय के लिए चारा खरीदना पड़ता है। गाँव के चरागाह पर भी वन विभाग का कब्जा है, घास काटने जाने के लिए एक व्यक्ति का एक दिन का 100 रु. लगता है। चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये बकरी पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं।

**आजीविका के साधनों की कमी** - खेती और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 70-80 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 94 रु. प्रति दिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

**सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति** - ज्यादातर गाँव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन, आवास श्रमिक कार्ड नहीं है। जिन लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। गाँव में सरकारी राशन की दुकान नहीं है। पहले राशन की दुकान भोजाता का ओड़ा थी जो अब हथार्ई में कर दी है। वहाँ कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी-कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। राशन की दुकान पर गेहूँ हर महीने मिलता है। चीनी और मिट्टी का

तेल तीन-चार महीने में मिलता है। चावल नहीं मिलता है। गाँव में पेंशन लाभार्थियों की संख्या 15 है। जिसमें महिला वृद्धा पेंशन लाभार्थी सात, पुरुष वृद्धा पेंशन लाभार्थी आठ, विधवा पेंशन लाभार्थी दो और एकल नारी पेंशन लाभार्थी दो है। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या 14 है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या 6 है। गाँव में स्कूल से वंचित दो बच्चे हैं जिसमें एक गरीबी के कारण स्कूल से वंचित है और दूसरे के माता पिता के देहांत के कारण स्कूल से वंचित है। इंदिरा आवास गाँव के आधे लोगों को मिले हैं आधे लोगों को नहीं मिले हैं। क्योंकि पंचायत ने लोगों को सूचित नहीं किया। उज्जवला गैस कनेक्शन शुरू हो गया है लेकिन सभी को नहीं मिला है। खाद बीज अनुदान योजना का लाभ भी सभी को नहीं मिलता है। कृषि उपकरण अनुदान योजना का लाभ भी सभी को नहीं मिलता है।

**गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -**

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	रास्ते की समस्या	सार्वजनिक	गाँव में जाने के लिए दोवड़ा से फलोज तक पक्की सड़क है। फलोज से गाँव में जाने के लिए एक पक्की सड़क है। एक फले से दूसरे फले तक जाने के रास्ते कच्चे हैं। लोगों को अपने घरों तक पगडंडी से जाना पड़ता है। गाँव में रास्तों का निर्माण पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन पंचायत में लोगों के आने-जाने की व्यवस्था ठीक हो इसके प्रति कोई विशेष रूचि नहीं है। गाँव में रास्ते निर्माण में लोग अपनी जमीन देने में भी आना- कानी करते हैं जिससे रास्ते निर्माण में बाधा आती है।	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।	तात्कालिक	
2	शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना	सार्वजनिक	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न ही बच्चों को बैठने के लिए कमरे हैं सरकार की नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	तात्कालिक	

			का निर्माण हो पा रहा है।			
3	कृषि संबंधी समस्या	व्यक्तिगत / सार्वजनिक	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।	तात्कालिक	
4	आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबंधी समस्या	व्यक्तिगत	गाँव में पंचायत द्वारा सरकारे आवास मिलता है लेकिन अभी गाँव में सभी लोगों को आवास की सुविधा नहीं मिली है। आवास के लिए लोगों को पहले सरपंच और सचिव को दस हजार रु. देने पड़ते हैं तक जाकर उनका आवंटन किया जाता है। उसके बाद उन्हें आवास मिलता है। जो लोग पैसे नहीं दे पाते उनको आवास नहीं मिल पाया है। पेंशन भी सभी लोगों को नहीं मिलती है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	तात्कालिक	
5	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	सार्वजनिक	गाँव के लोगों को भूमि अधिकार के तहत अभी काबिज भूमि का खातेदारी का हक नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पैनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	दीर्घकालिक	
6	पेयजल की समस्या	सार्वजनिक	धाणी हथाई (ढाणी हथाई) गाँव के लगभग सभी बोर वेल के पानी में फ्लोराइड	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके	तात्कालिक	

		की मात्रा पाई जाती है। बोरवेल ज्यादा गहरे होने से फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी में ज्यादा बढ़ रही है। भू-जल का अति दोहन और वर्षाजल संरक्षण पर ध्यान नहीं देने के कारण भी गर्मियों में पानी का संकट बढ़ रहा है।	पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।		
--	--	---	---	--	--


### संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	फलोज गाँव तक पक्की सड़क है लेकिन बीच-बीच में वह टूट-फूट गयी है। गाँव में जो कच्चे रास्ते हैं जिनमें कुछ को तो सी.सी. कर दिया गया है बाके अभी कच्चे ही हैं। पगडंडियों को चौड़ा नहीं करना। रास्ता के लिए जमीन देने हेतु गाँव वालों का आपसी विवाद।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने में समय की बचत होगी।	गाँव सभा का मजबूत नहीं होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	नाले पर एक एनीकट है लेकिन टूटा हुआ है। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनीकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिंचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता है।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गाँव की पहाड़ियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, तालाब की	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का



	के पशुओं का अभाव।	मरम्मत करके मछली पालना। सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी। सिंचाई का अभाव।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -



नजरिया नक्शा धाणी हथार्ई (धाणी हथार्ई)

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यों का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	आंगनवाड़ी भवन - आंगनवाड़ी स्वीकृति	1	50
2	कुआ गहरीकरण एवं रिंग वाल निर्माण	21	21
3	सार्वजनिक कुआं गहरीकरण पेयजल के लिए नल की व्यवस्था	1	गाँव के समस्त परिवार
4	सामुदायिक भवन गातोड़ जी मंदिर के पास बनवाना	1	गाँव के समस्त परिवार
5	चेकडैम पक्के	2	--
6	चेकडैम कच्चे	9	--
7	भूमि समतलीकरण	47	--
8	पशु वाड़ा निर्माण	47	--
9	नानिया तालाब की रिंग वाल निर्माण	1	गाँव के समस्त परिवार
10	शिलालेख पर सामुदायिक भवन निर्माण	1	गाँव के समस्त परिवार
11	जंगल जमीन पर वृक्षारोपण	1	गाँव के समस्त परिवार
12	उबा पाड़ा भोजाता से धाणी गातोड़ जी तक डामरीकृत सड़क	1	--
13	सी.सी. सड़क धाणी डी.पी. से घोड़ा काड तक निर्माण कार्य	1	--
14	नए कुआं खुदवाने का प्रस्ताव	3	3
15	नए हैंडपंप का प्रस्ताव	4	--



